उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-105/2017/656/92-2-2017-02आरई/2011
लखनऊ :: दिनांक:: 29 जून,2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत फेज-7 के पैकेज संख्या-यू0पी0-4379 में अपग्रेडेशन का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-3, कुशीनगर द्वारा सम्पर्क मार्ग सलेमगढ से मठिया श्रीराम को स्वीकृत लम्बाई 12.08 किमी0 के आगे 1.185 किमी0 अतिरिक्त मार्ग उखडवाने तथा निर्माण कार्य का समुचित पर्यवेक्षण न करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3960/62-3-10-02आरई/2011 दिनांक 03-03-2011 द्वारा श्री रामाश्रय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-3, कुशीनगर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री रामाश्रय सिंह, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31-01-2014 को सेवानिवृत्त हो गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री रामाश्रय सिंह के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0 आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-105/2017/656(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री रामाश्रय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-3, कुशीनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in